राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

आवेदन की अंतिम तिथि 22.08.2013

क्रमांक : एफवी9(1)(4)(1)स्थापन/ब/संख्याबल/2010/1071 दिनांक : 06.08.2013

विज्ञप्ति

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के प्रावधानों के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से पशुधन सहायक के 1648 पदों पर सीधी भर्ती 2013 के लिये निर्धारित ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है।

पशुधन सहायक की सीधी भर्ती हेतु पशुपालन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति, ऑन लाईन आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी व आवेदन पत्र वेबसाईट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in व www.recruit-ahd-lsa.rajasthan.gov.in पर दिनांक **08.08.2013** से उपलब्ध होगी।

नोट

1 उपरोक्त पदों में वर्गवार नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

2 विज्ञापित पदो में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है ।

3 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2014 को 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये एवं 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। आयु में नियमानुसार छूट देय होगी।

4 ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक **22.08.2013** रात्रि 12.00 बजे तक है। इसके उपरांत ऑनलाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

5 आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत हो जाने के बाद सुधार स्वीकार नही है। आवेदक द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आवेदन शुल्क जमा करवाया जायेगा। आवेदक, आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद मे स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवास तथा आवेदित जिले का नाम सम्बन्धी प्रविष्टिया सही रूप से दर्ज करावे।

निदेशक
पशुपालन विभाग

निदेशालय पशुपालन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विज्ञापन संख्या 2/2013 **दिनांक 06.08.2013**

पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2013

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के प्रावधानों के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से पशुधन सहायक के 1648 पदों पर सीधी भर्ती 2013 के लिये निर्धारित ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते है। ऑन लाईन आवेदन पत्र www.recruit-ahd-lsa.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती की सूचना पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

दिशा निर्देश

1 Online Application Form में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जायेगा। कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ फौजदारी कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

2 आवेदन प्रक्रिया हेतु आवेदन Online Application Form में लिये जायेंगे, जिन्हे राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 10/– ऑन लाईन फीस जमा कराने तथा रूपये 20/– आवेदन पत्र ऑन लाईन करने हेतु अर्थात कुल रूपये 30/– अक्षरे रूपये तीस मात्र की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में पशुपालन विभाग द्वारा स्वीकार नही किये जायेंगे।

- आवेदक अपनी पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 100 केबी) को स्केन कर अपलोड करे।
- आवेदक अपने हस्ताक्षर (अधिकतम 100 केबी को) स्केन कर अपलोड करे।

3 **आवेदन शुल्क** – आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी के अनुरूप राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करवाकर आवेदन पत्र भरा जा सकता है।

क) सामान्य वर्ग व ओ.बी.सी./विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के आवेदक हेतु रूपये 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये)

ख) राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 100/– (अक्षरे सौ रूपये)

ग) समस्त निःशक्तजन एवं टी एस पी एरिया के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 50/–(अक्षरे पचास रूपये मात्र)

4 **पशुधन सहायक के रिक्त पदों का विवरण**

रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

रिक्त पदों का वर्गवार विवरण

90 % 1483

10% ....165 पद (विभागीय पशुघन परिचरो के लिए आरक्षित

विवरण

क्र.स.	वर्ग	कुल पद	पुरूष	महिला
1	अनुसूचित जाति बैकलॉग	–	–	–
2	अनुसूचित जनजाति बैकलॉग	–	–	–
3	अनारक्षित	691	484	207
4	अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत	221	155	66
5	अनुसूचित जनजाति 12 प्रतिशत	165	116	49
6	अन्य पिछडा वर्ग 21 प्रतिशत	290	203	87
7	विशेष पिछडा वर्ग 1 प्रतिशत	13	09	4
8	**योग =**	**1380**	**967**	**413**
9	अनुसूचित जनजाति टाडा –45 प्रतिशत (टी.ए.डी. क्षेत्र)	**43**	**30**	**13**
10	अनुसूचित जाति टाडा– 5 प्रतिशत (टी.ए.डी. क्षेत्र)	**4**	**3**	**1**
11	सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत (टी.ए.डी. क्षेत्र)	**51**	**36**	**15**
12	सहरिया क्षेत्र	**5**	–	–
	योग =	**103**		
	महायोग =	**1483**		
13	भू0 पू0 सैनिक 12.5 प्रतिशत (वर्गानुसार)	–	–	–
14	विकंलाग 3 प्रतिशत (वर्गानुसार)	–	–	–
15	विधवा महिला 8 प्रतिशत (वर्गानुसार)	–	–	–
16	विच्छिन्न विवाह महिला 2 प्रतिशत (वर्गानुसार)	–	–	–

5 **शैक्षणिक योग्यता**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या उद्यान कृषि (कृषि) पशुपालन और जीव विज्ञान के साथ सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य।

तकनीकी योग्यता : पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान अथवा पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त निजी क्षेत्र में संचालित पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान/राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से समबद्व पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान से पशुधन सहायक का एक वर्षीय/दो वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।

6 **आरक्षण**– राजस्थान सरकार के प्रावधानानुसार उक्त रिक्तियो में आरक्षण देय है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिये

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निःशक्तजन अभ्यार्थियों को नियमानुसार 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

(ब) निःशक्तता की प्रकृति जिसके लिये पद परिलक्षित है ऐसे आवेदक जो O.L. (एक टांग प्रभावित–दांयी या बांयी) श्रेणी के लिये आरक्षण दिया जायेगा।

(स) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते है अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7 **वेतनमान**– राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची iv के अनुसार परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक रूपये 8950/– देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाये एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2800 देय होगा । दिनांक 01.01.2004 से नई भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8 **आयु**–

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा दिनांक 01.01.2014 को 35 वर्ष की आयु पूर्ण नही किया जाना चाहिये।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यार्थियों को निम्न अनुसार आयु सीमा में छूट देय है–

(क) राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के पुरूष अभ्यर्थी अथवा महिला अभ्यर्थी तथा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिये अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(ग) विधवाओ एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलो में अधिकतम आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नही होगी।

(घ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्गो तथा एससी/एसटी के विकलांग अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।

(ड़) क्रार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रंमाक एफ 2(7)क्रार्मिक /क–II/88 दिंनाक 08.07.2013 की अनुपालना मे पशु पालन विभाग में पूर्व से समेकित वेतन पर कार्यरत पशुधन सहायकों को आयु मे नियमानुसार उनकी पूर्व मे की गई नियुक्ति तिथि को ही आयु गणना का आधार मानते हुए छूट दी जावेगी।

स्पष्टीकरण– विधवा होने के मामले में महिला को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल तलाक का सबूत (सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा तलाकनामा) देना होगा।

9 **नियुक्ति हेतु निरर्हता**

(1)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या इसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

(2)कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को विशेष छूट प्रदान नही करती है।

(3)कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

(4)किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

10 **ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्ति का अंतिम दिनांक**–

ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक 22.08.2013 को रात्रि 12.00 बजे तक है। इसके बाद ऑन लाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

ऑन लाइन आवेदन हेतु निधारिंत शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 21.08.2013 को सायं 06:00 बजे तक रहेगा।

11 **चयन प्रकिया**

1. सीनियर सैकण्डरी–प्राप्त अंको का प्रतिशत।
2. पशुधन सहायक प्रशिक्षण– प्राप्त अंको का प्रतिशत।
3. सीनियर सैकण्डरी एवं पशुधन सहायक प्रशिक्षण में प्राप्त अंको के प्रतिशतों के योग का औसत दशमलव के तीन अंको तक (उदाहरणार्थ 71.023)।
4. बिन्दू संख्या 3 के प्रतिशत के योग को कुल 100 अंको मे से 70 प्रतिशत वेटेज देते हुए गणना की जावेगीं।
5. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रंमाक एफ 2(7)क्रार्मिक/क–II/88 दिंनाक 08.07.2013 तथा पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यकारी आदेश एफ 12(61)प पा/2001 पार्ट दिंनाक 23.07.2013 की अनुपालना मे पशु पालन विभाग राजस्थान सरकार की संस्था मे सात वर्ष से अधिक कार्य के अनुभव के लिए 30 अंक देय होगा एवं इसकी अनुपालनार्थ बिन्दु संख्या 4 के आधार पर प्राप्त अंक में अनुभव के प्राप्त अंक का योग कर मैरिट सूची तैयार की जावेगी।
6. कुल योग में टाई होने पर जन्म तिथि को आधार मानते हुए अधिक आयु को वरीयता दी जावेगी।

- चयन हेतु निदेशालय द्वारा सूचित दिनांक को निम्नाकिंत मूल दस्तावेज मय एक एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है :

1. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र व अंक तालिका।
2. जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग / टी. ए.डी./सहरिया का सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये जाति प्रमाण पत्र।
4. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग जाति के अभ्यर्थीयों हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत नॉन क्रीमीलेयर का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र छः माह से पूर्व का नही होना चाहिए।
5. टी. ए. डी. क्षैत्र के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निवास प्रमाण पत्र।
6. विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र।
7. पशुधन सहायक का एक वर्ष/दो वर्ष का प्रशिक्षण करने सम्बन्धी अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
8. अनुभव प्रमाण पत्र (पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार की संस्था में कार्य का अनुभव ही मान्य है, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जावे) ।
9. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. संतान संबंधी घोषणा पत्र।
11. अन्तिम परीक्षा जिस संस्था से उत्तीर्ण की है उस संस्था के प्राचार्य से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
12. महिला आवेदको को अपने पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जारी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
14. दो पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति जो 6 माह से पूर्व का न हो।
15. दो रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साईज का।

निदेशक
पशुपालन विभाग जयपुर